# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2021/106

1. रतन सिंह पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
2. सौराम पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
3. अर्जुन पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
4. बाबूलाल पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

**बनाम**

1. धन्ना पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
2. कान्हा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
3. नन्दा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
4. रामा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
5. सुन्दरया पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।
8. पुष्पा बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. कमला बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. श्रीमती संगीता झावेरी पत्नी गीतेश कुमार झावेरी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर – 144, सेकण्ड एवेन्यू मोम डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जिला जयपुर ।
11. तोती बाई उर्फ तोली बाई पत्नी अमर सिंह जाति बंजारा ।
12. संतोष बाई पत्नी जयराम जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवान सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 एवं 10 लगा0 12 की ओर से ।

## निर्णय

**दिनांक: 27.05.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में नया खाता संख्या 236 में खसरा नम्बर 621 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 03 बीघा कुल 02 किता की रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण कमला, पुष्पाबाई का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण धन्ना, कान्हा, नन्दा का हिस्सा 3/4, निहित है । प्रतिवादीगण धन्ना, नन्दा, कान्हा द्वारा खसरा नम्बर 621 में से अपना हिस्सा 47/116 प्रतिवादीगण रामा, सुन्दरलाल को दान करने से उनका हिस्सा 47/116 निहित है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार पृथ्वी वल्द रामचन्द्र बंजारा थे । पृथ्वी जी ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे । प्रथम विवाह रानीबाई से किया था जो वादीगण व प्रतिवादी कम 8 व 9 के पिता स्व0 पन्ना की माता हैं तथा दूसरा विवाह टीपू बाई से किया था जिसके नुत्फे से प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 पैदा हुए । उक्त भूमि पूर्व खातेदार की स्वअर्जित सम्पत्ति थी । वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण कम 8 व 9 का 1/2– 1/2 हिस्सा निहित है । पृथ्वी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करा दिया था । उक्त बंटवारे के अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 पिछले 30 वर्षों से पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने हिस्से 1/2 की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि को पृथक खाते दर्ज करावें। प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादीगण के पिता का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/4 राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन करवा लिया है जबकि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण धन्ना, कान्हा, नन्दा, रामा, सुन्दरया के मध्य किये गये आपसी सहमति बंटवारे में स्व0 पन्ना का 1/2 हिस्सा निहित था किन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर स्व0 पन्ना का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/4 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से के बजाय 3/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 8 व 9 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की । परीक्षण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । प्रतिवादी कम 10 संगीता झवेरी को उसके प्रार्थना पत्र पर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को वाद से डिलीट कर दिया था फिर भी प्रतिवादी कम 10 को अंतिम डिक्री में अनुतोष दिया गया है जो विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा माह अप्रेल में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रदान की थी । माह अप्रेल में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवागमन व परिवहन प्रतिबन्धित था जिस पर वादीगण अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके थे । राज्य सरकार द्वारा आवागमन में राहत दिये जाने पर दिनांक 01.07.2021 को अपीलान्टगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 02.07.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया था कि ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 621 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 03 बीघा कुल 02 किता की रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण कमला, पुष्पाबाई का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण धन्ना, कान्हा, नन्दा का हिस्सा 3/4 निहित है । प्रतिवादीगण धन्ना, नन्दा, कान्हा द्वारा खसरा नम्बर 621 में से अपना हिस्सा 47/116 प्रतिवादीगण रामा, सुन्दरलाल को दान करने से उनका हिस्सा 47/116 निहित है । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार पृथ्वी थे । पृथ्वी ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे । उन्होंने अपने जीवनकाल में पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर दिया और बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 621 रकबा 05 बीघा में नहर की तरफ से 03 बीघा पर खसरा नम्बर 645 में 01 बीघा 03 बिस्वा पर वादीगण के पिता पन्ना का हिस्सा निहित किया उसी अनुसार वादीगण अपीलान्ट ने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । स्वर्गीय पृथ्वी की मृत्यु होने के उपरान्त वादीगण के पिता पन्ना व प्रतिवादीगण धन्ना, कान्हा, नन्दा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था जिसमें किसी प्रकार से किसी का कोई भी हिस्सा अंकन नहीं किया गया था किन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादीगण के पिता का हिस्सा 1/4, प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/4 राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन करवा लिया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त रहे हैं । प्रतिवादीगण कम 01 लगायत 5 के द्वारा खसरा नम्बर 621 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा में से 03 बीघा 16 बिस्वा यानि 76/116 का बेचान प्रतिवादी कम 10 को जरिये रजिस्टर्ड

से 03 बीघा 16 बिस्वा यानि 76/116 का बेचान प्रतिवादी कम 10 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र किया गया जिस पर उनका प्रतिवादी कम 10 वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया । परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की थी और प्रारम्भिक डिकी अनुसार अंतिम डिकी पारित करने का आदेश पारित किया था परन्तु परीक्षण न्यायालय में अंतिम डिकी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिकी पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिकी त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 22.02.2021 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः अंतिम डिकी पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 698 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । परीक्षण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने जो अनुतोष चाहा था उसी अनुसार प्रारम्भिक डिकी पारित की है तथा प्रारम्भिक डिकी के आधार पर अंतिम डिकी पारित की है । वादीगण अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं बताया है । प्रस्तुत प्रकरण में संगीता झावेरी को प्रतिवादी कम 10 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । परीक्षण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भिक डिकी को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाये हैं । परीक्षण न्यायालय में विभाजन नियमों को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 22.02.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अपीलान्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 08 मार्च, 2021 चस्पा होता है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादीगण अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की । दिनांक 04.07.2019 परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिकी पारित करते समय प्रत्येक खसरा नम्बर के विभाजन हेतु विस्तृत विवेचन किया है । प्रारम्भिक डिकी के आधार पर अंतिम डिकी हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये गये । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिकी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि **'प्रस्तुत प्राथमिक डिकी पर वकुलाए पक्षकारान द्वारा सहमति दी जाकर अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार तालेडा वाद अंतिम डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें'** । इससे साबित होता है कि परीक्षण

न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव पेश किये गये हैं वे 24.01.2020 के आदेश की पालना में तैयार किये गये उसमें पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार तीनों के हस्ताक्षर हैं और इसी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित की है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट की सहमति के अनुसार अंतिम डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय पक्षकारान की सहमति होने का स्पष्ट अंकन अपने आदेश में किया है । इससे साबित है कि अपीलान्ट को अंतिम निर्णय एंव डिक्री की जानकारी थी । यदि अपीलान्ट को अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति थी तो वे परीक्षण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे । वादी अपीलान्ट ने ही परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था और उसी अनुरूप विभाजन की डिक्री पारित की गई है ।

14. वादीगण अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2020 को रेस्पोडेन्ट कम 11 व 12 को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया था प्रतिवादी कम 11 व 12 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । हम अपीलान्टगण के उक्त कथन से सहमत नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट कम 11 व 12 द्वारा अंतिम डिक्री के बाबत् न्यायालय में किसी प्रकार का उज्र नहीं किया है ।

15. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय एवं अंतिम डिक्री पक्षकारान की सहमति के आधार पर पारित होना अंकित की है जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में भी किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 2021/106**

1. रतन सिंह पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
2. सौराम पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
3. अर्जुन पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
4. बाबूलाल पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

**——अपीलार्थी**

**बनाम**

1. धन्ना पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
2. कान्हा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
3. नन्दा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
4. रामा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
5. सुन्दरया पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।
8. पुष्पा बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
9. कमला बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. श्रीमती संगीता झावेरी पत्नी गीतेश कुमार झावेरी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर – 144, सेकण्ड एवेन्यू मोम डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जिला जयपुर ।
11. तोती बाई उर्फ तोली बाई पत्नी अमर सिंह जाति बंजारा ।
12. संतोष बाई पत्नी जयराम जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

**——प्रत्यर्थी**

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2021 अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।**

द्व संख्याः 515/दावा/2014

1. रतन सिंह पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
2. सौराम पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
3. अर्जुन पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा ।
4. बाबूलाल पुत्र पन्ना जी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---वादी

**बनाम**

1. धन्ना पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
2. कान्हा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
3. नन्दा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
4. रामा पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा ।
5. सुन्दरया पुत्र पृथ्वी जाति बंजारा निवासीगण जाखमूण्ड बंजारा बस्ती तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।
8. पुष्पा बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी
9. कमला बाई पुत्री पन्ना जाति बंजारा निवासी जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. श्रीमती संगीता झावेरी पत्नी गीतेश कुमार झावेरी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर – 144, सेकण्ड एवेन्यू मोम डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जिला जयपुर ।

--प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.05.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राकेश सुवालका एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 एवं 10 लगायत 12 की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भगवान सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा